



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092023-248602  
CG-DL-E-06092023-248602

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3803]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2023/भाद्र 15, 1945

No. 3803]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2023/BHADRA 15, 1945

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2023

का.आ. 3965(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाईयां, आधार (वित्तीय और अन्य सहदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन करेगी और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और समुचित विनियमामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टकर्ता इकाईयों को धन-शोधन अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन का कार्य करने के लिए अनुज्ञा देती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र सं.	रिपोर्टकर्ता इकाईयां
(1)	(2)
1.	फेडबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
2.	अमृत मालवा कैपिटल लिमिटेड
3.	निशान रिनोल्ड फाइनेंसियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर-भाग (1)]

मनोज कुमार सिंह, निदेशक (मुख्यालय)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th September, 2023

**S.O. 3965(E).**—In exercise of the power conferred by proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government being satisfied that the reporting entities mentioned in the TABLE below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

**TABLE**

Sl.No.	Reporting Entities
(1)	(2)
1.	Fedbank Financial Services Limited
2.	Amrit Malwa Capital Limited
3.	Nissan Renault Financial Services India Private Limited

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR-Part(1)]

MANOJ KUMAR SINGH, Director (Headquarter)